

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1029 सन 2021

अनवान :-

1. शकुन्तला पत्नी बलवीर सिंह जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
वादी

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र तिलोकाराम जाति जाट साकिन मेधाना तहसील नोहर।
2. अमीलाल पुत्र कालुराम जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
3. ओमप्रकाश पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
4. चुनीराम पुत्र तिलोकाराम जाति जाट साकिन मेधाना तहसील नोहर।
5. झिण्डुराम पुत्र कालुराम जाति नाई निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
6. देवीलाल पुत्र कालुराम जाति नाई निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
7. भूपसिंह पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
8. महेन्द्र पुत्र कालुराम जाति नाई निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
9. रूपराम पुत्र कालुराम जाति नाई निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
10. राजेश कुमार पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
11. रोशनी पत्नी जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
12. विनोद कुमार उर्फ मनोज कुमार पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
13. शंकरलाल पुत्र कालुराम जाति नाई निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 03.11.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 79/83 की कुल 41.1520 हैक्ठु भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम सयुक्त खाते में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के बाहमी बटवारा के अनुसार वादीया अपने हक हिस्सा की भूमि को काश्त करती आ रही है किन्तु वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के बाहमी बटवारा के अनुसार वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है वादीया अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 को कई मर्तबा कहा की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 जरिये अधिवक्ता में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम से सयुक्त खाते में दर्ज है जिसका वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा हो चुका है बाहमी बटवारा के अनुसार वादीया अपने हक हिस्सा की भूमि काश्त करती आ रही है जिसे वादीया के नाम अलग से खाता एव लगान राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 79/83 की कुल 41.1520हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है।


वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया हुआ है बाहमी बटवारा में वादीया के हक हिस्सा की भूमि काश्त करती आ रह है जिसका खाता व लगान अलग से कायम करवाना चाहती है वादीया के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादीया के हक हिस्सा की भूमि के अनुसार बाहमी बटवारा में प्राप्त भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

सयुक्त खातेदार काश्तकार आपस सहमति से बाहमी बटवारा किया जाकर अपने हक हिस्सा के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 79/83 की कुल 41.1520हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है में से खसरा न0 337 की कुल 9.548हैक् मे से मिन दक्षिण की 2.387हैक् भूमि की खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावे यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नौहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट... मेधाना

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. शकुन्तला पत्नी बलवीर सिंह जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र तिलोकाराम जाति जाट साकिन मेधाना तहसील नोहर।
2. अमीलाल पुत्र कालुराम जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
3. ओमप्रकाश पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
4. चुनीराम पुत्र तिलोकाराम जाति जाट साकिन मेधाना तहसील नोहर।
5. झिण्डुराम पुत्र कालुराम जाति नाई निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
6. देवीलाल पुत्र कालुराम जाति नाई निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
7. भूपसिंह पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
8. महेन्द्र पुत्र कालुराम जाति नाई निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
9. रूपराम पुत्र कालुराम जाति नाई निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
10. राजेश कुमार पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
11. रोशनी पत्नी जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
12. विनोद कुमार उर्फ मनोज कुमार पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
13. शंकरलाल पुत्र कालुराम जाति नाई निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1029 सन 2021 निर्णय दिनांक-03.11.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 79/83 की कुल 41.1520हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है में से खसरा न0 337 की कुल 9.548हैक् मे से मिन दक्षिण की 2.387हैक् भूमि की खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावे यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 03.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट...मेधाना